वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 116 /2025 *दिनांक- 27.03.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 27.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01. थाना मुबारकपुरःगैंगेस्टर के अभियोग मे वांछित एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 16.09.2024 को वादी मुकदमा योगेन्द्र सिह पुत्र अरविन्द सिंह निवासी ग्राम अतरडीहा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा प्रतिवादी रामाश्रय चौरसिया (मुल्ला) द्वारा आवेदक के भाई को 50000 रुपया मे गाय बेचने हेतु तय करना तथा बयाना के तौर पर 5000 रुपया ले लेना तथा पुनः उसी गाय को रमेश दुबे को बेच देना तथा आवेदक के भाई द्वारा पूछने पर कहना की मै गाय को रमेश दुबे को बेच दिया हूँ जो करना है कर लेना तथा आवेदक व आवेदक के भाई द्वारा उस गाय के बारे मे बात करने के लिये रमेश दुबे के पास ग्राम मोईनाबाद सी0सी0 रोड पर पहुँचकर रमेश दुबे से बात करना कि उसी समय रमेश दुबे के लड़के अमित दुबे, सुरेश दुबे, बब्लू दुबे आदि का मौके पर आ जाना तथा बात चीत के दौरान आवेदक व आवेदक के भाई को मारना पीटना तथा उसी मे से किसी एक व्यक्ति द्वारा दौड़कर घर से असलहा(बन्दुक) लेकर आना और आवेदक के भाई को गोली मार देना तथा शेष व्यक्तियो द्वारा ईट पत्थर चला कर मारना व आवेदक के भाई को इलाज हेतु अस्पताल ले जाते समय रास्ते मे मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में तहरीर प्रदान किये जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 369/2024 धारा 191(2),191(3),115(2),125,61(2),103(1) BNS व 25/27/30 आयुध अधि0 बनाम 1. सुरेश दुबे पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र दुबे साकिन देवकली तारन थाना मुबारकपुर आजमगढ 2. रणजीत दुबे उर्फ बबलू दुबे पुत्र दिनेश दुबे साकिन देवकली तारन थाना मुबारकपुर आजमगढ 3. प्रवीण दुबे पुत्र सुरेश दुबे निवासी देवकली तारन थाना मुबारकपुर आजमगढ 4. विनीत दुबे पुत्र त्रिपुरारी दुबे उर्फ पुजारी दुबे निवासी देवकली तारन थाना मुबारकपुर आजमगढ 5. रामाश्रय चौरसिया उर्फ मुल्ला पुत्र स्व0 सूर्यबली चौरसिया साकिन इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार द्वारा की गयी एवं विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट मु0अ0सं0 128/25 धारा 2(ख)(एक)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986, पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 27.03.2025 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार के निर्देशन मे व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह पुलिस बल के गैंगेस्टर के अभियोग मे वांछित अभियुक्तगण के तलाश मे क्षेत्र मे मामुर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर वांछित अभियुक्त रणजीत दुबे उर्फ बबलू दुबे पुत्र दिनेश दुबे साकिन देवकली तारन थाना मुबारकपुर आजमगढ को देवकली तारन मोड़ से समय करीब 12.35 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02.थाना अतरौलिया: वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व का विवरण-

दिनांक 04.03.25 को सुबाष चन्द्र सिंह पुत्र स्व0 यदुवीर सिंह निवासी ग्राम शेरवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने थाना अतरौलिया पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षीगण द्वारा आवेदक का इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान (फैन, कूलर, वाशिंग मशीन, आदि का) बकाया रूपया देने में आना कानी करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 64/25 धारा 409 भादवि बनाम . श्रवण कुमार गुप्ता पुत्र ईश्वरचन्द्र गुप्ता 2. मनोज कुमार गुप्ता पुत्र ईश्वरचन्द्र गुप्ता निवासीगण वार्ड नं0 02 दिलदार नगर थाना दिलदार नगर जनपद गाजीपुर बतफ्तीशी उ0नि0 रामनिहाल वर्मा के रजिस्ट्रान पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना चौकी इन्जार्ज उ0नि0 रामनिहाल वर्मा के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 26.03.25 को उ0नि0 रामनिहाल वर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त श्रवण कुमार गुप्ता पुत्र ईश्वरचन्द गुप्ता सा0 वार्ड नं0 09 सदर बाजार दिलदार नगर थाना दिलदार नगर जनपद गाजीपुर उम्र 65 वर्ष को सेहदा पुल थाना कन्धरापुर आजमगढ़ से समय करीब समय 18.45 बजे पर नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

03. थाना मुबारकपुरः हत्या के प्रयास के अभियोग मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

वादिनी मुकदमा श्रीमती निशा चौहान पत्नी शैलेश चौहान निवासिनी ग्राम अबाड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आमजगढ द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि दिनांक 14.03.2025 को रात्री 09.30 बजे डीजे पर नाचने की बात को लेकर वादीनी मुकदमा के देवर पन्नालाल चौहान पुत्र प्रभुनाथ चौहान व विपक्षी राजेश चौहान पुत्र मैनेजर चौहान निवासी ग्राम अबाड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ मे कहा सुनी हो गयी जिससे नाराज होकर विपक्षी राजेश चौहान उपरोक्त द्वारा वादिनी के देवर पन्नालाल चौहान को जान मारने की नियत से पेट में चाकू से मार देने के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 108/2025 धारा 352/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 अल्पेश्र द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 26.03.2025 को उ0नि0 अल्पेश्वर मय हमराह द्वारा सठियांव स्थित रेलवे कालोनी के पास से कन्स्ट्रक्शन के लिये रखी गयी गिट्टी बालू के पीछे से एक नफर वांछित अभियुक्त राजेश चौहान पुत्र मैनेजर चौहान निवासी ग्राम अबाड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को समय 15.50 बजे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशांदेही पर आला कत्ल चाकू की बरामदगी की गयी है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।